RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना

जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 07 / 2023

प्रार्थी–

1. श्रीमान हुकमाराम पुत्र कपूराराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बलोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना।
2. श्रीमान परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता (सा.नि.वि.) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड जोधपुर / बाड़मेर।

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध बालोतरा–साण्डेराव–जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 42 / 700 किमी से 50 / 600 किसी, 59 / 460 किमी से 62 / 900 किमी एवं 73 / 120 किमी से 74 / 800 किमी तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश क्रमांक 6947 दिनांक 16.08.2021 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पुनड़ व सांवल राम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री लादूराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 18.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी, सिवाना के द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 16.08.2021 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर 29.08.2022 एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 42 / 700 किमी से 50 / 600 किसी, 59 / 460 किमी से 62 / 900 किमी एवं 73 / 120 किमी से 74 / 80 किमी तक के निर्माण (चौड़करण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने / चार लेन का बनाने, आदि) में जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (पादरड़ी कला, सिवाना, मवड़ी, महिलावास, मोकलसर, काठाड़ी) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 को जारी कर उपखण्ड

जिला कलक्टर बालोतरा

अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 676 रकबा 3.2780 बीघा भूमि (अवाप्तसुदा भूमि 0.7139) बीघा मौजा मोकलसर, तहसील सिवाना में अवस्थित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थी को कम रकबा का एवं गलत डी एल सी दर से आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा वास्तविक अवाप्त भूमि की सही डी.एल.सी. दर से गणना करते हुए एवं वास्तविक अवाप्त रकबा को मानते हुए पुनः अवार्ड पारित करते हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 676 रकबा 3.2780 बीघा भूमि (अवाप्तसुदा भूमि 0.7139 एवं 0.1116) बीघा मौजा मोकलसर, तहसील सिवाना में अवस्थित है। एन एच 325 बालोतरा से सांडेराव वाया जालोर का निर्माण करने के लिए प्रार्थी के उक्त खसरा की अवाप्त भूमि हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। एन. एच. 325 बालोतरा से सांडेराव वाया जालोर मोकलसर बाइपास के निर्माण हेतु खसरे वार भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी जांच राजस्व रिकार्ड से भूमिधारी तहसीलदार सिवाना द्वारा कर अवाप्ति प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 1164 दिनांक 15.03.2018 को जारी हुआ। साथ ही आमजन को सूचना एवं जानकारी के लिए इस अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित करवाकर अवाप्त भूमि के लिए समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आक्षेप या आपतियों आमंत्रित की गयी। भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी का.आ. 6066 दिनांक 07.12.2018 को जारी हुआ। धारा 3डी की अधिसूचना को आमजन में प्रचार एवं प्रसार के लिए दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 17.12.2018 को प्रकाशित करवाया गया। मुआवजा आवार्ड संख्या/एन एच 325/6947 दिनांक 16.08.2021 को अपीलार्थी को डीएलसी दर 156573/ रू प्रति बीघा के हिसाब से निर्धारित कर पारित किया गया। उक्त आलोच्य अवार्ड में त्रुटिवश उप पंजीयक सिवाना में प्रचलित डीएलसी दर दिनांक 15.03.2018 को 156573/– रू प्रति बीघा सिंचित भूमि सड़क पर मानते हुए गणना कर अवार्ड पारित किया गया, लेकिन वास्तव में वास्तव में वक्त 3ए दिनांक 15.03.2018 को प्रचलित डीएलसी दर 78300/–रू प्रतिबीघा थी। उक्त मार्ग के निर्माण के दौरान रकबा 0.1116 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता महसूस किये जाने पर इसी खसरा नंबर 676 में से रकबा 0.1116 बीघा भूमि की अवाप्त की गई है। भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 140 दिनांक 10.01.2024 को जारी हुआ। साथ ही आमजन को सूचना एवं जानकारी के लिए इस अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2024 को प्रकाशित करवाकर अवाप्त भूमि के लिए समाचार पत्र में अधिसूचना

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आक्षेप या आपतियों आमंत्रित की गयी। भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी का.आ. 2690 दिनांक 10.07.2024 को जारी हुआ। उप पंजीयक सिवाना से दिनांक 10.01.2024 को प्रचलित डीएलसी दर 527958/– रू प्रति बीघा के अनुसार मुआवजा आवार्ड संख्या/एन एच 325/6464 दिनांक 23.09.2024 को अपीलार्थी को पारित किया गया। अधिसूचना धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 को प्रचलित उक्त खसरा की डीएलसी दर 78300/– रू सड़क से दूर मानकर गणना की जानी थी, परन्तु डीएलसी दर 156573/–रू सड़क पर मानकर जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 676 की अवाप्त भूमि 0.7139 बीघा का अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को 3046499/–रू का मुआवजा निर्धारित किया गया तथा अतिरिक्त अवाप्त की गई भूमि 0.1116 बीघा का अतिरिक्त प्रकिया अपनाकर दिनांक 23.09.2024 को किस्म सिंचित सड़क से दूर की डीएलसी दर के अनुसार मुआवजा जारी किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के खतेदारी भूमि खसरा नंबर 676 में से कुल 0.8255 बीघा भूमि अवाप्त कर नियमानुसार प्रार्थी को मुअवाजा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी, सिवाना के समक्ष दिनांक 15.06.2022 को शिकायत पेश की गई। प्रार्थी की शिकायत पर तहसीलदार सिवाना से जांच करवाकर भूमि का नाप करवाया गया तथा उक्त खसरे में अवाप्त भूमि से 0.1116 बीघा भूमि उक्त मार्ग के निर्माण के लिए अधिक काम मे ली गई, जिसका अतिरिक्त अवाप्त भूमि रकबा 0. 1116 बीघा का नियमानुसार अलग से प्रकिया अपनाकर प्रार्थी को मुआवजा जारी कर दिया गया। प्रार्थी ने आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 के संबंध में उक्त खसरे की डीएलसी दर 278370/– रू प्रतिबीघा के हिसाब से मुआवजा निर्धारिण करने के लिए शिकायत की गई। इस संबंध में अगर कोई भी भूमि एन एच से 101 मीटर से 200 मीटर दूर स्थित होती है तो, उस भूमि को डीएलसी दर 278370/– रू के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन प्रार्थी का खसरा संख्या 676 जो एन एच से 475 मीटर दूर स्थित होने पर डीएलसी दर 278370/– रू प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खसरा संख्या 676 का आलोच्य अवार्ड दिनांक 16. 08.2021 को डीएलसी दर 156573/– रू के हिसाब से सिचिंत एवं सड़क पर स्थित मानते हुए आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है, लेकिन वास्तव में धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 को प्रचलित डीएलसी दर 78300/– रू एवं सड़क से दूर स्थित सिंचित भूमि थी। इस प्रकार प्रार्थी की अवाप्त भूमि के खसरा संख्या 676 एन एच से दूर सिंचित भूमि की डीएलसी दर 78300/– रू प्रति बीघा के हिसाब से निर्धारण किया जाए तो प्रार्थी को कुल मुआवजा राशि 1523194/– रू होना चाहिए था, जबकि प्रार्थी को आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को 3045860/– रू मुआवजा पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारीज करते हुए प्रार्थी को जारी आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 में संशोधन करवाते हुए प्रार्थी को भुगतान अधिशेष राशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खाते में जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मोकलसर, पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 676 रकबा 3.2780 हैक्टर की स्थित है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या 325 के

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्माण हेतु खसरा संख्या 676 में से रकबा 0.71139 बीघा भूमि का अर्जन कर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को 3046499/– रू का मुआवजा जारी किया गया। उक्त आलोच्य अवाप्त खसरा के भुगतान हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पंत्राक 207 दिनांक 14.06.2022 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को भिजवाया गया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के पत्रांक 871 दिनांक 28.06.2022 क्षरा भेगतान हेतु भिजवाया गया। तत्पश्चात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में भुगतान किया जा चुका है। खसरा संख्या 676 का सम्पूर्ण भूगतान समस्त काश्तकारों की सहति से हुकमाराम पुत्र कपूराराम के खाते में किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योगय है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 676 रकबा 3.2780 बीघा भूमि (अवाप्तसुदा भूमि 0.7139 एवं 0. 1116) बीघा मौजा मोकलसर, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त संयुक्त भूमि में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या 325 के निर्माण हेतु खसरा संख्या 676 में से रकबा 0.71139 बीघा भूमि का अर्जन कर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को 3046499/– रू का मुआवजा जारी किया गया, जिमसें सक्षम प्राधिकारी सिवाना द्वारा अवाप्त भूमि से कम रकबे एवं धारा 3ए के तत्समय प्रभावी डीएलसी दर अनुसार जारी नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थी के खेत में से वास्तविक अवाप्त रकबा 0.9389 बीघा के स्थान पर 0.7139 बीघा का अवार्ड जारी किया गया एवं डी.एल.सी. दर 278370/– रू प्रति बीघा से आलोच्य अवार्ड जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2022 को अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी, सिवाना के समक्ष लिखित शिकायत पेश कर वास्तविक मुआवजे हेतु निवेदन किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2022/1922 दिनांक 22.07.2022 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि शिकायत कर्ता प्रार्थी की वास्तविक अवाप्त रकबा 0. 9389 हैक्टयर भूमि के स्थान पर 0.7139 हैक्टयर भूमि का अर्जन किया जाना माना है, साथ ही उक्त अर्जन रकबा 0.7139 हैक्टेयर भूमि के मुआवजा राशि की गणना सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर से नहीं की गई है, साथ ही सिंचित दर 278370/–रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा आंकलन कर मुआवजा दिया जाना उचित माना है। इसलिए उक्त अवार्ड में संशोधन किया जाना न्यायौचित है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 676 को जो भाग अवाप्त किया गया है, उसी के समरूप खसरा संख्या 674 का भाग भी अवाप्त किया गया है, उक्त दोनों खसरों की भौतिक स्थिति एवं सड़क से दुरी अनुसार समान डी.एल.सी. दर निर्धारित होने के बावजुद पड़ोसी खसरा संख्या 674 के खातेदारों को मुआवजा 278370/–प्रति बीघा की दर से दिया है तथा प्रार्थी के खसरा संख्या 676 का मुआवजा 156573/– रूपये प्रति बीघा की दर से किया गया है जो कि विधि अनुसार [illegible]त है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत में से वास्तविक अर्जन

जिला कलक्टर
बालोतरा

भूमि से कम भूमि का रकबा आंकलन किया एवं उक्त अर्जन रकबे की मुआवजा राशि आवंकलन करने में भी भारी त्रुटी की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा जारी आलोच्य अवार्ड में संशोधित कर प्रार्थी के वास्तविक अवाप्त रकबा एवं डी.एल.सी दर को मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने का आदेश फरमावे।

7. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में यह भी कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सिवाना द्वारा इस प्रकरण में श्रीमानजी के समक्ष जो जवाब दिनांक 09.04.2025 को पेश किया गया है. जिसमें प्रार्थी की अतिरिक्त भूमि रकबा 0.1116 हैक्टयर अर्जन कर उसके मुआवजे का पूरक अवार्ड दिनांक 23–09–2024 को जारी करना जाहिर किया है, लेकिन उक्त अवार्ड राशि का भुगतान आज दिन तक खातेदार/प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी को गलत डी.एल.सी. दर अवार्ड अधिक राशि का जारी कर भुगतान कर दिया है. जिसे वसुलने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है, इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अवार्ड में किसी प्रकार का संसोधन करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को इस बाबत् कभी पूर्व में सूचित नहीं किया गया है, तथा प्रार्थी द्वारा इस मध्यस्थ याचिका में चाहे गए अनुतोष से भिन्न अनुतोष अर्थात अन्य हेतुक उत्पन्न होने पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नए सिरे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस विचाराधीन प्रकरण में अवार्ड की राशि में संसोधन करवाने व प्रार्थी को दी गई अतिरिक्त राशि के वसूली की कार्यवाही का अनुतोष मांगने के तथ्य मनगढत व झूठे अंकित किए है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी केवल फार्मल पक्षकार होने कारण उनको जारी किया गया मुआवजा राशि में संशोधन या कम करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की भूमि अर्जन के सम्बंध में विभिन्न सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन, सर्वे व तैयार अपनी मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.08.2021 को प्रार्थी की अवाप्त/अर्जन भूमि का अवार्ड अवाप्त भूमि से कम भूमि का जारी किया गया है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी के अवलोकन से भी स्पष्ट है, खसरा संख्या 676 वर्तमान विभाजित नये ख.स. 148 व 150 तथा समान्तर स्थित खसरा संख्या 674 वर्तमान नये खसरा सं. 147 व 155 जो कि पूर्व में स्थापित हाई–वे/सड़क से समान्तर दूरी पर होने के बावजुद भी दोनों खसरों के अवाप्त रकबे के मुआवजे की गणना भिन्न–भिन्न डी.एल.सी. दरों से कर प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति कारित की है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मियों की हठधर्मिता व मनमानी रवैये से कार्य निष्पादित किया है एवं प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि के रकबे के क्षेत्रफल का कम आंकलन कर तथा अवाप्त भूमि की किस्म के विपरित गलत किस्म की डी.एल.सी. दर अनुरूप अवार्ड राशि निर्धारण कर गरीब किसान प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उक्त अंतिम अवार्ड जारी होने से पूर्व हाईवे पर स्थित खसरों व उससे 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित खसरों की डी.एल.सी. समान होने के कारण कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) वृत्त बाड़मेर द्वारा कमेटी गठित कर उससे तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् सड़क पर स्थित खसरों व सड़क से 100 मीटर व 100 मीटर से 200 मीटर पर स्थित

जिला कलक्टर
बालोतरा

खसरों के नम्बर सहित नई डी.एल.सी. दरों का निर्धारण किया गया, लेकिन इसके बावजुद भी स्थानीय अधिकारियों व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन व सर्वे रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए प्रार्थी को वास्तविक राशि से कम राशि का अवार्ड जारी किया है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी अवार्ड दिनांक 16.08.2021 में दर्ज प्रार्थी की खातेदारी खेत की कुल अर्जन भूमि के वास्तविक रकबे व अवाप्त रकबे का मुआवजा सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार पुनः गणना कर अवार्ड में संशोधन किया जाकर वास्तविक राशि का मुआवजा जारी करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना को निर्देश फरमाया जावे।

8. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय 325 के 42/700 किमी से 50/600 किसी, 59/460 किमी से 62/900 किमी एवं 73/120 किमी से 74/80 किमी तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में प्रार्थी की संयुक्त भूमि मौजा मोकलसर, तहसील सिवाना के खसरा संख्य 676 रकबा 3.2780 बीघा में से रकबा 0.7139 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3a** के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 82(अ) दिनांक 28.12.2016 जारी कर प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। उक्त निर्माण के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा का.आ. 1164(अ) दिनांक 15.03.2018 को प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

3A. Power to acyuire land, etc-

(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Offical Gazette, declare its intention ot acquire such land.
(2) Every notification under sub-section (1) shall gie a brief description of the land.
(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, on of which will be in a vernacular language.

उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना 1164(अ) दिनांक 15.03.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रकाशन होने पर धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू–हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाइ का

जिला कलक्टर
बालोतरा

अवसर देने के पश्चात आपतियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(सी) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3C. Hearing of objection-

(1) Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of the notification under subsection(1) of section 3A object to the use of the land for the purpose of purposes mentioned in that sub section.

(2) Every objection under sub section 1 shall be mde to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being haard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objecxtions and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, ither allow or disallow the objections.

(3) Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final.

उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जिन हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत आपतियां प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपतियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा का.आ. 6066(अ) दिनांक 07.12.2018 को प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3D. Declaration of acquistion-

(1) Where no objection under sub section(1) of section 3C has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objection under sub section (2) of that section, the competent authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the Central Government shall declare, by nitification in the official Gazette, that the land should be acquired for the purposes mentioned in sub-section(1) of section 3A

(2) On the publication of 3D Nofification under sub-section(1), the land shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

(3) Where in respect of any land, a nofification has been published under sub-section(1) of section 3A for its acquisition but no declaration under sub-section (1) has been published within a period of one year from the date of publication of that notification, the said notification shall cease to have any effect: Provided that in compurting the said period of one year, the period or periods during which any action or proceedings to be taken in pursuance of the notification issued under sub-section (1) of section 3A is stayed by an order of a court shall be excluded.

(4) A declaration made by the Central Government under section 3D fo sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority.

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3D की अधिसूचना 6066(अ) दिनांक 07.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 17.12.2018 को प्रकाशित किया गया।

उक्त खसरान के अवाप्तसुदा भूमि का आलोच्य 3जी अवार्ड सक्षम प्राधिकारी सिवाना के आदेश कमांक एन.एच. 325/6947 दिनांक 16.08.2021 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा प्रार्थी को जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) व (7) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3G. Determination of amount payable as compensation-

(5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to any party, the said amount shall be determined by an arbitrator appointed by the Central Government on the application of any party.

(7) The competent authority or the arbitrator shall, while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, have regard to-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, caused to the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the separation of such land from other land;

(c) the loss, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the acquisition affecting in any manner his other immovable property or his earnings detrimentally;

(d) if as a result of the acquisition of the land the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि उक्त आलोच्य अवार्ड प्रार्थी की वास्तविक अवाप्त रकबा 0.9389 बीघा का अवार्ड जारी न कर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि रकबा 0.7139 बीघा मानकर तथा गलत डी.एल.सी दर से गणना कर जारी किया गया है। उक्त आलोच्य अवार्ड को निरस्त कर प्रार्थी की वास्तविक अवाप्त भूमि एवं सही डी.एल. सी दर से गणना कर संशोधित अवार्ड पारित किया जाए। इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपतियों, भौतिक स्थिति आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा धारा 3ए की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नहीं होगा। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया प्रार्थी

जिला कलक्टर
बालोतरा

को वास्तविक अवाप्त भूमि रकबा 0.9389 बीघा का अवार्ड जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिमसें प्रार्थी के भूमि खसरा संख्या 676 में रकबा 0.7139 बीघा भूमि अवाप्त की गई, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 तथा 3डी दिनांक 07.12.2018 को अधिसूचना जारी कर आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को जारी करना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब में कथनानुसार उक्त मार्ग के निर्माण के दौरान रकबा 0.1116 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता महसूस किये जाने पर इसी खसरा नंबर 676 में से रकबा 0.1116 बीघा भूमि की अवाप्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 140 दिनांक 10.01.2024 को व धारा 3डी का.आ. 2690 दिनांक 10.07.2024 को जारी हुआ। मुआवजा उप पंजीयक सिवाना से दिनांक 10.01.2024 को प्रचलित डीएलसी दर 527958/– रू प्रति बीघा के अनुसार आवार्ड संख्या/एन एच 325/6464 दिनांक 23.09.2024 को अपीलार्थी को पारित किया गया, होना बताया गया। इसके अलावा पत्रावली के सलंग्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना प्रार्थी के खसरा संख्या 676 की भूमि अवाप्त हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 एवं धारा 3ए दिनांक 10.01.2024 का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी की अवाप्त भूमि धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 में अवाप्त रकबा 0.7139 बीघा भूमि एवं धारा 3ए दिनांक 10.01.2024 में अवाप्त रकबा 0.1116 बीघा भूमि कुल अवाप्त भूमि रकबा 0.8255 बीघा भूमि अवाप्त होना पाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी के खेत में से वास्तविक अवाप्त रकबा 0.9389 बीघा भूमि अवाप्त की गई हो। इस प्रकार उक्त दोनो धारा 3ए की अधिसूचना के अनुसार प्रार्थी कुल अवाप्त रकबा 0.8255 बीघा भूमि अवाप्त की गई है, होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थी को डी.एल.सी. दर 278370/– रू प्रति बीघा से आलोच्य अवार्ड दिनांक 16.08.2021 को जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें कार्यालय उप पंजीयक सिवाना के पंत्राक पंजीयन/2024/695 दिनांक 10.12.2024 में मौजा मोकलसर खसरा संख्या 676 की अवाप्त की गई भूमि की अधिसूचना धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 को प्रचलित डी.एल.सी दर 78300/– प्रतिबीघा सिंचित सड़क से दूर स्थित होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जब प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि के खसरान 676 की भूमि 3ए की अधिसूचना जारी दिनांक 15.03.2018 के तहत अवाप्त की गई थी, तब उक्त आलोच्य खसरान की अवाप्त भूमि की डी.एल.सी दर 78300/– प्रति बीघा थी। उक्त अधिसचूना दिनांक 15.08.2018 के बाद किसी भी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किये गये हो तो उसका काई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अलावा इसके **MORTH (A Manual od Guideline on land Acquisition for National Highways under The National Highways Act,1956)** के अनुसार अधिनिमय धारा 3ए के प्रकाशन के बाद प्रार्थी को अपने अवाप्तसुदा भूमि संबंधी कोई भी आपति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश करने का

जिला कलक्टर
जालोर

अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। लेकिन प्रार्थी ने पद संख्या ii में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत अवाप्तसुदा भमि का वास्तविक अवाप्त खसरा एवं सही डी.एल.सी दर से मुआवजा देने के संबंध में दिनांक 15.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की गयी, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 15.03.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 07.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 16.08.2021 के पारित होने के बाद पेश किया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.062022 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा **"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है"**, की पालना नहीं की गई। इसके अलावा तहसीलदार सिवाना से तलब की रिपोर्ट में उक्त खसरा संख्या 676 वर्तमान नवीन खसरा 148 व 150 में से रकबा 0.7139 व 0.1116 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई होना बताया गया तथा वक्त धारा 3ए दिनांक 15.03.2018 को उक्त खसरे की प्रचलित डीएलसी दर सिंचित सड़क से दूर कृषि भूमि दर 483710/– प्रति हैक्टेयर होना बताया गया। खसरा संख्या 674 जो हाईवे से 100 मीटर दूर तथा खसरा संख्या 676 सड़क से दूर होना बताया गया।साथ ही पत्रावली के संलग्न सवंत 2074 से 2081 तक खसरा संख्या 676 को असिंचित होना बताया गया। जहां तक प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि कम रकबा का मुआवजा जारी किया गया, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के उक्त खसरे की वास्तविक कितना रकबा अवाप्त किया गया हो। विपरित इसके सक्षम प्राधिकारी, सिवाना से तबल की गई मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का मुआवजा 78300/– रू प्रति बीघा की बजाय 156573/–रू प्रतिबीघा की डीएलसी दर से दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण को रिमाण्ड कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः अवार्ड पारित होना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

9. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौजा मोकलसर के खसरा नंबर 676 के वास्तविक कितना रकबा भूमि अवाप्त की गई है तथा वक्त धारा 3ए को प्रचलित डीएलसी दर क्या थी, का पता करते हुए अपने स्तर पर पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर पुनः अवार्ड पारित करना सुनिश्चत करें। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिवाना का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से [illegible] हो।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।